"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2012—चैत्र 31, शक 1934

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/तीन-जेल/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय वर्गीय तथा लिपिक वर्गीय) जेल सेवा नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 11 (1) के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में, शब्द "चयन समिति द्वारा साक्षात्कार" के स्थान पर, शब्द "प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कूजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 3-4/तीन-जेल/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 20-04-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कूजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 20th April 2012

NOTIFICATION

No. F 3-4/Three-Jail/2011.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Non-Gazetted Class-III (Ministerial and Non Ministerial) Jail Service Rules, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In clause (i) of sub-rule (1) of Rule 11, for the words "interview by the Selection Committee." the words "Competitive Examination." shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.